



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 फाल्गुन 1945 (श०)

(सं० पटना १७९) पटना, शुक्रवार, ०१ मार्च २०२४

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

29 फरवरी, 2024

सं० वि०स०वि०-१३ / २०२४-१०९८ / वि०स०—‘बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, २०२४’, जो बिहार विधान सभा में दिनांक-२९ फरवरी, २०२४ को पुरस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-११६ के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
राज कुमार,
सचिव।

[वि०स०वि०-03 / 2024]

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024

बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना :—चूँकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग गठित है एवं उक्त अधिनियम की धारा-8 में संशोधन समीचीन है ;

इसलिए, भारत-गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—

- (1) यह अधिनियम "बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024" कहा जायेगा।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014(बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा-8 के परन्तुक का संशोधन।— उक्त अधिनियम, की धारा-8 के परन्तुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

"परन्तु, आयोग, स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के सम्मिलित सभी पदों तथा इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा संवर्ग के सभी पदों और स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन ऐसे अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा, जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाय।"

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-08 के परन्तुक में यह प्रावधान है कि “परन्तु, आयोग, स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के सभी पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा”।

इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के अन्तर्गत सहायक निदेशक का पद बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। साथ ही, बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2022 द्वारा यथा समिलित बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग को बाहर रखते हुए संशोधन किये जाने का प्रस्ताव भी स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त हुआ है।

ऐसी स्थिति में बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-8 के परन्तुक को “परन्तु, आयोग, स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के समिलित सभी पदों तथा इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा संवर्ग के सभी पदों और स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन ऐसे अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा, जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाय” के रूप में प्रतिस्थापित किया जाना समीचीन है।

संशोधन के उपरांत बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के समिलित सभी पदों तथा इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा संवर्ग के सभी पदों और स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन ऐसे अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा की कार्रवाई की जा सकेगी, जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाय।

इसलिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 को संशोधित करना इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(नीतीश कुमार)
भार-साधक सदस्य

पटना
दिनांक-29.02.2024

राज कुमार,
सचिव,
बिहार विधान सभा।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
बिहार गजट (असाधारण) 179-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>